To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
New Delhi.

Sub:- Report in compliance to the order passed by Hon'ble NGT dated 09-05-2023 in O.A. 649/2022 Narender Pratap Singh Vs CPCB & Anr.

Sir,

In compliance to the above said order dated 09-05-2023 passed by Hon'ble NGT in O.A. 649/2022 Narender Pratap Singh Vs CPCB & Anr. Details/ information are as follows:-

1:- A copy of action plan for plantation on Gram sabha land adjacent to U.P. Asbestos Pvt. Ltd. is herewith attached. **(annexure –I)**.

2:- The PH value of soil is 8.45, it is a saline soil so on the basis of soil type we recommend species for plantation on the given land are arjun, kanji, jangal jalabi, dhank and siris etc. Soil testing report is attached for your kind information. **(annexure –II).**

3:- It is also submitted that an Evalutation and Monitoring wing is already existing at departmental level which monitors all plantaion activities during entire year . **(annexure –III)**.

4:- It is also submitted that the letter(vide No. 493760/c-1/jal/NGT/2023 dated 17.05.2023) of UPPCB of amount of environmental compensation of Rs. 7,03,125.00 is recived from UPPCB. **(annexure –IV)**.

Total area of company premise is 8.5 acres and its 33% is 2.8 acres for plantation. 2.8 acres area will be planted by company as per direction by Hon'ble NGT and its report will be submitted by concerned company separately.

It is also recommended that company M/s U.P. Asbestos ltd. should submit maintenance upto five years and after five years company should take care of plantation with land management committee for the concern of environment.

Attached:- As above.

10/8/23

(Pramod Kumar)
Divisional Forest Officer
Gautam Budha Nagar Forest Division
Gautam Budha Nagar

ANNEXURE- I

Action Plan for plantation on Gram Sabha Land adjacent to U.P. Asbestos Pvt. Ltd. in compliance of Hon'ble NGT's order dated 09.05.2023

S.No	Item of Work	Time line
1	Clening bush uprooting and leveling of area	16.05.2023 to 17.05.2023
2	Alignmnent for 5000 pits digging (0.45X0.45X0.45)	17.05.2023 to 22.05.2023
3	Pits soil exposure	23.05.2023 to 06.06.2023
4	5000 pits filling mixture of manure/mineral/ nutrients/gypsum etc	07.06.2023 to 10.06.2023
5	5000 pit filling	10.06.2023 to 15.06.2023
6	Fencing for protection of plantation	Done Before plantation work
7	Plantation work	month of july 2023
8	Plantation Maintenance work	Weeding, Irrigation, Thavla bandi, clening of grass, beatingup etc. 01.10.2023 to 31.03.2024
9	Plantation Maintenance work	Weeding, Irrigation, Thavla bandi, clening of grass, beatingup etc. 01.04.2024 to 31.03.2025
10	Plantation Maintenance work	Weeding, Irrigation, Thavla bandi, clening of grass, beatingup etc. 01.04.2025 to 31.03.2026

(Pramod Kumar)
Divisional Forest Officer
Gautam Budha Nagar Forest Division
Gautam Budha Nagar

ANNEXURE - II

785

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड संख्या: 01

किसान का नाम: N.T.P.C. दादरी

वैधता 2023 से 2024 तक

द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधी सिफारिशें

क्रमांक	पैरामीटर	मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुति
1	सल्फर (S)	जिप्सम — किग्रा०/हे०
2	जिंक (Zn)	जिंक सल्फेट 21% किग्रा०/हे०
3	बोरॉन (B)	सुहागा किग्रा०/हे०
4	ऑयरन (Fe)	फेरस सल्फेट किग्रा०/हे०
5	मैगनीज (Mn)	मैगनीज किग्रा०/हे०
6	कॉपर (Cu)	कॉपर सल्फेट किग्रा०/हे०

General Recommendations

1	जैविक खाद	गोबर की खाद कु०/हे०
2	जैव उर्वरक	10–12 पैकेट फास्फेटिका
3	चूना / जिप्सम	

International Year of Soils 2015

Healthy Soils for a Healthy Life

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

किसान का विवरण

नाम	वन विभाग
पता	N.T.P.C. विसाहड़ा दादरी
ग्राम	विसाहड़ा
उप-जिला/तहसील	दादरी
जिला	गौतम बुद्ध नगर
पिन कोड	
आधार संख्या	
मोबाइल संख्या	8005391320

मृदा नमूना विवरण

मृदा नमूना संख्या	01
नमूना एकत्र करने की तिथि	8/5/2023
सर्व संख्या/ग्रिड सं.	
खसरा संख्या/	1986
खेत का क्षेत्रफल	
भू-स्थिति (GPS)	अक्षांश: देशांतर :
सिंचित भूमि/वर्षा सिंचित भूमि	सिंचित

प्रयोगशाला का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला गौतम बुद्ध नगर

मृदा परीक्षण परिणाम

क्रमांक	पैरामीटर	परिणाम	इकाई	आकलन/श्रेणी
1	पी एच (pH)	8.45	PH	क्षारीय
2	ई सी (EC)		M.M ho	
3	जीविक कार्बन (OC)		%	
4	उपलब्ध नाइट्रोजन (N)		किग्रा०/हे०	
5	उपलब्ध फास्फोरस (P)		किग्रा०/हे०	
6	उपलब्ध पोटैशियम (K)		किग्रा०/हे०	
7	उपलब्ध सल्फर (S)		पी०पी०एम०	
8	उपलब्ध जिंक (Zn)		पी०पी०एम०	
9	उपलब्ध बोरॉन (B)		पी०पी०एम०	
10	उपलब्ध ऑयरन (Fe)		पी०पी०एम०	
11	उपलब्ध मैगनीज (Mn)		पी०पी०एम०	
12	उपलब्ध कॉपर (Cu)		पी०पी०एम०	

संदर्भ उपज के लिए उर्वरक सिफारिशें (जैविक खाद के साथ)

क्रमांक	फसल व किस्म	संदर्भ उपज	एन.पी.के. के लिए उर्वरक संयोजन-1		एन.पी.के. के लिए उर्वरक संयोजन-2	
			उर्वरक का नाम	मात्रा किग्रा.	उर्वरक का नाम	मात्रा किग्रा.
1	गेहूं/धान		यूरिया		यूरिया	
2			डी० ए० पी०		एन० पी० के०	
3			एम० ओ० पी०		एम० ओ० पी०	
4	गन्ना/आलू					
5			यूरिया		यूरिया	
6			डी० ए० पी०		एन० पी० के०	
			एम० ओ० पी०		एम० ओ० पी०	

कृपया अधिक जानकारी हेतु किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क टॉल फ्री नं. 1800-180-1551 पर सम्पर्क करें।

विशेष जानकारी हेतु कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क करें अथवा कृषि विभाग की वेबसाइड agriculture.up.nic.in देखें।

प्रकाशक : ब्यूरो, कृषि विभाग, 9, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ

परीक्षण हस्ताक्षर
अध्यक्ष प्रयोगशाला
गौतम बुद्ध नगर

ANNEXURE-III

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या– 132 /2982 लखनऊ, दिनांक, 30 नवम्बर, 2022.

स्थायी–आदेश

विषयः–मूल्यांकन / सर्वेक्षण के मानकों का निर्धारण।

शासनादेश सं0–554 / चौदह–5–2003–15(10) / 93 दिनांक 10.07.2003 में वृक्षारोपण सफलता मानकों का निर्धारण पौधों की ऊँचाई व जीवित पौधों की संख्या के आधार पर किया गया है। मूल्यांकन / सर्वेक्षण प्रकिया को अधिक उपयोगी, प्रभावशाली व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अतिक्रमित करते हुए सर्वेक्षण की प्रकिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

1. प्रत्येक वर्ष पौधालयों का सर्वेक्षण, अग्रिम मृदा कार्य का सर्वेक्षण एवं वृक्षारोपणों का द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष सर्वेक्षण निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित किया जायेगा:–

कार्य का विवरण	अवधि	प्रतिदर्श चयन
पौधालयों का सर्वेक्षण	01 फरवरी से 28 फरवरी	प्रभाग की प्रत्येक रेंज की सबसे बड़ी पौधशाला
अग्रिम मृदा कार्य का सर्वेक्षण	01 अप्रैल से 31 मई	कुल स्थलों / कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत
वृक्षारोपण का सर्वेक्षण (द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष)	01 अक्टूबर से 31 जनवरी	कुल स्थलों / कुल क्षेत्रफल / कुल रोपित पौधों की संख्या का न्यूनतम 10 प्रतिशत

वृक्षारोपणों के सर्वेक्षण हेतु निम्न व्यवस्था अपनाई जायेगी:–

I. 20 हे0 क्षेत्रफल तक के चयनित वृक्षारोपण स्थलों का सर्वेक्षण, सम्पूर्ण गणना (Complete Enumeration) करते हुए किया जायेगा।

II. 20 हे0 क्षेत्रफल से अधिक के चयनित वृक्षारोपण स्थलों का सर्वेक्षण प्रत्येक स्थल की विशिष्टता के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चयनित विधि के अनुसार कराया जायेगा।

2. अग्रिम मृदा कार्य की गुणवत्ता जॉच करने हेतु एवं वृक्षारोपणों की सफलता प्रतिशत की जॉच करने हेतु रोपणों की योजना / परियोजना एवं राजिवार सूची प्राप्त की जायेगी ताकि राजि का Stratum तैयार हो सके तथा प्रत्येक रेंज / योजना / परियोजना का समान रूप से सर्वेक्षण किया जा सके।

   त्वरित / पारदर्शी / उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त प्रतिदर्श चयन के दृष्टिगत सर्वेक्षणों हेतु स्थलो का यादृच्छिक चयन (Random Selection) कम्प्यूटर के माध्यम से, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0 टी0, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक वर्ष कराये गये अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपणों का योजनावार / प्रभागवार / रेंजवार विवरण मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. सर्वेक्षण की गुणवत्ता के आंकलन के दृष्टिगत, अनुश्रवण इकाईयों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के न्यूनतम 10 प्रतिशत स्थलों का पुनः सर्वेक्षण दूसरी टीमों द्वारा किया जायेगा।

4. सर्वेक्षण कार्यो में पारिदर्शिता बढ़ाये जाने के दृष्टिगत सर्वेक्षण परिणामों को Real Time में हरीतिमा ऐप पर अपलोड किया जायेगा। हरीतिमा ऐप पर अपलोड किये जाने वाले सर्वेक्षण परिणाम की विशिष्टियॉ निम्नानुसार रहेंगी :–

वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 मे0)	रोपित पौध संख्या	वृक्षारोपण स्थल के अन्तर्गत जीवित पौध संख्या	वृक्षारोपण का जीवितता प्रतिशत
1	2	3	4	5

सर्वेक्षण दल द्वारा उक्त विशिष्टियों को हरीतिमा ऐप पर सफलतापूर्वक अपलोड किये जाने के बाद ही दूसरे स्थल का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।

सर्वेक्षण के परिणामों को सर्वेक्षण दल द्वारा पूर्व से प्रचलित प्रपत्रों में भरकर कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. सर्वेक्षण टीम, सर्वप्रथम सर्वेक्षण आदेश के साथ सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक से उनके कार्यालय में मिलकर सर्वेक्षण किये जाने वाले स्थलों की सूची उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र को दिखाने व सर्वेक्षण के दौरान टीम के साथ रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण प्राप्त करेगी। सर्वेक्षण समाप्ति के पश्चात् स्थलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को सीधे सौंपी जायेगी तथा प्रत्येक मानक से कम सफल स्थल के मानक से कम सफलता के कारणों की लिखित जानकारी प्राप्त कर, सर्वेक्षण प्रपत्रों के साथ मूल्यांकन कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
6. सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम को सर्वेक्षणकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से भरा जाय तथा सर्वेक्षण प्रपत्र पर किसी तरह की कटिंग आदि न की जाये। अस्पष्ट/कटिंग वाले प्रपत्र मान्य नही होंगे।
7. सर्वेक्षण प्रपत्र पर सर्वेक्षणकर्ता/यूनिट अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर, पूरा नाम तथा पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
8. सर्वेक्षण के दौरान सम्बन्धित प्रभाग के कर्मचारी/अधिकारी जो मौके पर उपस्थित हों, के दिनांक सहित हस्ताक्षर व पूरा नाम, पद नाम का उल्लेख सर्वेक्षण प्रपत्र पर अनिवार्य रूप से किया जाये। किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर से इन्कार करने अथवा अन्य कोई कठिनाई होने पर यूनिट अधिकारी स्वयं इसकी सूचना तत्काल, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को लिखित रूप से देगा तथा एक प्रति (प्राप्ति के साथ) मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को भी उपलब्ध करायेगा।
9. सर्वेक्षण प्रपत्र के साथ सम्बन्धित सर्वेक्षित स्थल का नजरी नक्शा अवश्य संलग्न किया जाये, जो सम्बन्धित प्रभाग के कर्मचारी/अधिकारी जो मौके पर उपलब्ध हों, के द्वारा हस्ताक्षरित हो।
10. वृक्षारोपण नाली/बोनानाली/रिज पर उपलब्ध पौधों की गणना में प्रति नाली अधिकतम तीन पौधे ही मानें जायेगें।
11. बाउन्ड्री ट्रेंच/सुरक्षा खाई पर लगाये गये पौधों को वृक्षारोपण के पौधों की गणना में सम्मिलित न किया जाये।
12. ग्राम समाज के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणों का सर्वेक्षण करने के उपरान्त ही वृक्षारोपण क्षेत्रों को ग्राम समाज को हस्तान्तरित किया जाये।
13. सर्वेक्षण हेतु टीम के प्रस्तावित भ्रमण की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक को दी जायेगी, ताकि संबंधित अभिलेख अद्यावधिक किये जा सकें।
14. पौधालय सर्वेक्षण के बिन्दुओं की चेक लिस्ट, मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्याकन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तैयार कर प्रचालित की जायेगी।
15. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 मूल रिपोर्ट एवं उस पर प्राप्त प्रभागीय वनाधिकारी/ वन संरक्षक की आख्या का विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

(कमलेश कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्ययोजना
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या- 132 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
3. उप निदेशक/मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी(वन सांख्यिकी), अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त यूनिट अधिकारी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0।

(कमलेश कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या- 132 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव सहित, उ0प्र0।
6. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उ0प्र0 व फील्ड डायरेक्टर, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।

(कमलेश कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ

ANNEXURE-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. H93760 / सी-1/जल/एन०जी०टी०/2023

दिनांक
Date. 17/05/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
ई–1, सै0–1, नोएडा।

Regd.

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–649/2022 नरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–6682/एस–3/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 08.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–649/2022 नरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के बिन्दु संख्या–5 के सम्बन्ध में है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

...........5. "In the present case environmental compensation of Rs. 7,03,125/- was imposed vide order dated 19.01.2023 which was deposited by the project proponent. The amount of environmental compensation realized from the project proponent is also ordered to be transferred to the Divisional Forest Officer, Gautam Buddha Nagar and the amount of environmental compensation be also utilized for carrying out plantation for protection and improvement of environment in the area."

उक्त के अनुपालन में मैसर्स यू0पी0 एस्बेस्टस लि0, ग्राम बिसाहड़ा, दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में बोर्ड में जमा की गयी धनराशि रू0 7,03,125/– का चेक संख्या–660575, दिनांक 17.05.2023 (इण्डियन ओवरसीज बैंक, डालीगंज, लखनऊ), प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पक्ष में देय चेक मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार (चेक संख्या–660575, दिनांक 17.05.2023 रू0 7,03,125/– मूल रूप में)।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0)

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0)

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ –226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेब साइटः www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.in
Web Site : www.uppcb.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

Daliganj Luckow Branch (0248)
Nirman Ambica Arcade, IT College Crossing,
Lucknow - 226007
IFS CODE : IOBA0000248

DAL

VALID FOR 3 MONTH ONLY FROM THE DATE OF INSTRUMENT
17052023
D D M M Y Y Y Y

PAY Divisional Forest Officer, Gautam Buddha Nagar— या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Seven Lakh three thousand One hundred twenty five only

अदा करें ₹ 703125=00

खा. सं. A/c No. 024801000001567

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

7FND06

Kaushik
Accounts Incharge
U.P.P.C.B.

Rajendra Singh
CEO (Admn.)
U.P.P.C.B. Lko.

Please sign above

"Payable at par at all branches of IOB In India"

⑈660575⑈ 226020005⑆ 11

Scanned with OKEN Scanner